No.

नगर विकास न्यास, कोटा

आवेदन पुस्तिका

श्री अ ोक गहलोत
ख्यमंत्री
रा .सरकार

श्री शांति धारीवा
नगरीय विकास, स्वायत श न
एवं आवासन मंत्री, राज. रा

5 योजनाओं में आवासीय भूखण्डों, के निश्चित विक्रय दर पर आवंटन का सुनहरा अवसर

योजना का नाम	भूखण्डों की संख्या
1. स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना	38
2. रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना	148
3. मीरा बाई आवासीय योजना	52
4. मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना	442
5. सुभाष नगर आवासीय योजना	56

आवेदन पत्र विक्रय आरम्भ करने की तिथि	23 दिसम्बर 2020
आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि	22 जनवरी 2021

500/-

1. स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

योजना स्थल :-

उक्त योजना थेकड़ा से रायपुरा चौराहे जाने वाली सड़क से उत्तर की और 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है, जो कि मुख्य सड़क से लगभग 500 मीटर दूरी पर, रायपुरा चौराहे से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। योजना आबादी के समीप व विकासशील क्षेत्र के मध्य स्थित है तथा रायपुरा चौराहे के नजदीक मुख्यमंत्री जन आवास के अन्तर्गत रायपुरा आवासीय योजना के पास है।

योजना की विशेषताएं :-

1. रायपुरा चौराहे के समीप।
2. थेकड़ा से रायपुरा चौराहे पर जाने वाली सड़क के समीप।
3. रायपुरा मुख्यमंत्री जन आवास योजना के पास।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
1	स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना	10	7.5x15=112.5	1210.50	10,000/-	950/-	11,49,975/-	1,00,000/-
		03	9x13=117	1258.92		950/-	11,95,974/-	1,10,000/-
		8	9x18=162	1743.12		950/-	16,55,964/-	1,50,000/-
		17	12x21=252	2711.52		950/-	25,75,944/-	2,00,000/-
	योग	38						

2. रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

योजना स्थल :-

उक्त योजना नान्ता में मोहन लाल सुखाड़िया योजना के पास तथा न्यास की प्रसन्न विहार,राजीव आवास योजना के समीप स्थित है। यहाँ थर्मल चौराहे से केनाल रोड के माध्यम से पंहुचा जा सकता है।

योजना की विशेषताएं :-

1. न्यास की मोहन लाल सुखाड़िया योजना के पास।
2. न्यास की प्रसन्न विहार,राजीव आवास योजना के पास
3. थर्मल चौराहे से केनाल रोड़ के माध्यम से आसानी से पहुंच।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
2	रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना	17	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1050/-	4,57,569/-	45,000/-
		16	6x12=72	774.72		1050/-	8,13,456/-	80,000/-
		55	7.5x15=112.5	1210.50		1050/-	12,71,025/-	1,20,000/-
		21	9x18=162	1743.12		1050/-	18,30,276/-	1,80,000/-
		23	12x21=252	2711.52		1050/-	28,47,096/-	2,80,000/-
		9	12x27=324	3486.24		1050/-	36,60,552/-	3,50,000/-
		7	15x27=405	4357.80		1050/-	45,75,690/-	4,50,000/-
	योग	148						

Scanned with CamScanner

3. मीरा बाई आवासीय योजना

योजना स्थल :–

यह योजना देवली अरब ग्राम की आबादी के समीप स्थित है। योजना ग्राम देवली अरब से नया नोहरा एवं हनुमन्त खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित है। योजना स्थल से लगभग 4 से 5 कि.मी. की दूरी पर शैक्षणिक संस्थान एलेन केरियर इंस्ट्यिट का भवन है व अन्य शैक्षणिक संस्थाऐं जैसे सिंघानियाँ स्कूल, विद्याश्रम स्कूल, आदि स्थित है। उक्त योजना से लगभग 2 कि.मी. की दूरी पर स्मृति वन निर्माणधीन है। योजना स्थल पर रायपुरा से बोरखेड़ा जाने वाली सड़क से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त स्थल पर नया नोहरा से देवली अरब को जाने वाली सड़क से भी पंहुचा जा सकता है।

योजना की विशेषताएं :–

1. देवली अरब ग्राम की आबादी के समीप स्थित है।
2. योजना ग्राम देवली अरब से नया नोहरा एवं हनुमन्त खेड़ा को जाने वाली सड़क पर स्थित है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
3	मीरा बाई आवासीय योजना	4	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1500/-	6,53,670/-	60,000/-
		21	6x12=72	774.72		1500/-	11,62,080/-	1,00,000/-
		23	7.5x15=112.5	1210.50		1500/-	18,15,750/-	1,80,000/-
		4	9x18=162	1743.12		1500/-	26,14,680/-	2,50,000/-
	योग	52						

4. मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

योजना स्थल :–

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा रोझड़ी गांव में मुकुन्दरा विहार योजना राष्ट्रीय राजमार्ग–27 बाइपास के समीप महत्वाकांक्षी आवासीय योजनाहै। योजना में सुविधा क्षेत्र का प्रावधान है। योजना में 30 मीटर, 18 मीटर, 12 मीटर व 9 मीटर चौड़ी सड़कों का प्रावधान है तथा पर्याप्त मात्रा में पार्क/ खुले स्थल का प्रावधान है

योजना की विशेषताएं :–

1. NH-27 बाइपास व मुकुन्दरा विहार आवासीय योजना के समीप।
2. खड़े गणेश जी मन्दिर परिसर से बन्धा धर्मपुरा को जाने वाली सड़क से लगभग 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
3. योजना स्थल से लगभग 3–4 कि.मी. की दूरी पर मेडिकल कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय आदि शैक्षाणिक संस्थाऐं है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
4	मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना	20	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1500/-	6,53,670/-	60,000/-
		15	6x12=72	774.72		1500/-	11,62,080/-	1,00,000/-
		270	7.5x15=112.5	1210.50		1500/-	18,15,750/-	1,80,000/-
		92	9x18=162	1743.12		1500/-	26,14,680/-	2,50,000/-
		45	12x21=252	2711.52		1500/-	40,67,280/-	4,00,000/-
	योग	442						

Scanned with CamScanner

5. सुभाष नगर आवासीय योजना

योजना स्थल :-

नगर विकास न्यास की सुभाष नगर आवासीय योजना एरोड्राम सर्किल से झालावाड़ रोड़ पर एम.बी.एस.मार्ग के समीप स्थित है।

योजना की विशेषताएं:-

योजना स्थल से लगभग 3-4 कि.मी. की दूरी पर मेडिकल कॉलेज, तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय, वर्धमान खुला विश्वविद्यालय आदि शैक्षाणिक संस्थाऐं है।

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम		भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
5	सुभाष नगर आवासीय योजना	ग्रुप-1	2	5.5x11=60.5	650.98	6,500/-	3000/-	19,52,940/-	1,80,000/-
			1	5.8x11=63.8	686.49		3000/-	20,59,470/-	
		ग्रुप-2	4	7.5x15=112.5	1210.50		3000/-	36,31,500/-	3,50,000/-
		ग्रुप-3	5	11x15=165	1775.4		3000/-	53,26,200/-	5,00,000/-
			11	9x19.5=175.5	1888.38		3000/-	56,65,140/-	
			5	9x21=189	2033.64		3000/-	61,00,920/-	
		ग्रुप-4	10	12x21=252	2711.52		3000/-	81,34,560/-	7,00,000/-
		ग्रुप-5	18	12x27=324	3486.24		3000/-	1,04,58,720/-	8,00,000/-
		योग	**56**						

भूखण्डों की संख्या, साईज/क्षेत्रफल,अनुमानित कीमत, पंजीयन राशि आदि का विवरण

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
1	स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना	10	7.5x15=112.5	1210.50	10,000/-	950/-	11,49,975/-	1,00,000/-
		03	9x13=117	1258.92		950/-	11,95,974/-	1,10,000/-
		8	9x18=162	1743.12		950/-	16,55,964/-	1,50,000/-
		17	12x21=252	2711.52		950/-	25,75,944/-	2,00,000/-
	योग	**38**						
2	रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना	17	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1050/-	4,57,569/-	45,000/-
		16	6x12=72	774.72		1050/-	8,13,456/-	80,000/-
		55	7.5x15=112.5	1210.50		1050/-	12,71,025/-	1,20,000/-
		21	9x18=162	1743.12		1050/-	18,30,276/-	1,80,000/-
		23	12x21=252	2711.52		1050/-	28,47,096/-	2,80,000/-
		9	12x27=324	3486.24		1050/-	36,60,552/-	3,50,000/-
		7	15x27=405	4357.80		1050/-	45,75,690/-	4,50,000/-
	योग	**148**						
3	मीरा बाई आवासीय योजना	4	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1500/-	6,53,670/-	60,000/-
		21	6x12=72	774.72		1500/-	11,62,080/-	1,00,000/-
		23	7.5x15=112.5	1210.50		1500/-	18,15,750/-	1,80,000/-
		4	9x18=162	1743.12		1500/-	26,14,680/-	2,50,000/-
	योग	**52**						

Scanned with CamScanner

क्र सं	योजना का नाम	भूखंडों की संख्या	भूखण्डों की साईज (मीटर)	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	आरक्षित दर (प्रतिवर्ग मीटर)	दर (प्रति वर्गफीट)	अनुमानित कीमत (नॉन कॉर्नर भूखण्ड)	पंजीयन राशि
4	मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना	20	4.5x9=40.5	435.78	10,000/-	1500/-	6,53,670/-	60,000/-
		15	6x12=72	774.72		1500/-	11,62,080/-	1,00,000/-
		270	7.5x15=112.5	1210.50		1500/-	18,15,750/-	1,80,000/-
		92	9x18=162	1743.12		1500/-	26,14,680/-	2,50,000/-
		45	12x21=252	2711.52		1500/-	40,67,280/-	4,00,000/-
	योग	**442**						
5	सुभाष नगर आवासीय योजना	ग्रुप-1 2	5.5x11=60.5	650.98	6,500/-	3000/-	19,52,940/-	1,80,000/-
		1	5.8x11=63.8	686.49		3000/-	20,59,470/-	
		ग्रुप-2 4	7.5x15=112.5	1210.50		3000/-	36,31,500/-	3,50,000/-
		ग्रुप-3 5	11x15=165	1775.4		3000/-	53,26,200/-	5,00,000/-
		11	9x19.5=175.5	1888.38		3000/-	56,65,140/-	
		5	9x21=189	2033.64		3000/-	61,00,920/-	
		ग्रुप-4 10	12x21=252	2711.52		3000/-	81,34,560/-	7,00,000/-
		ग्रुप-5 18	12x27=324	3486.24		3000/-	1,04,58,720/-	8,00,000/-
	योग	**56**						
	कुल योग	**736**						

योजनाओं में पंजीयन राशि के साथ 2000/–रू. प्रशासानिक शुल्क राशि जमा होगी ,जो अदेय (Non Refundable) है।

योजना का विवरण :–

इन आवासीय योजनाओं में 736 भूखण्ड आवंटन हेतु निर्धारित किये है। उक्त संख्या मांग एवं उपलब्धता के आधार पर घटाई-बढाई जा सकती है। उक्त योजनाओं में कॉर्नर भूखण्ड होने की स्थिति में 10 % अतिरिक्त चार्ज देय होगा। इन भूखण्डो का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा।

पात्रता

1. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को वयस्क होना चाहिए अर्थात् आवेदन–पत्र जमा कराने की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
3. आवेदक का किसी भी बैंक में खाता होना चाहिए और आवेदक आवेदन–पत्र में उसका विवरण अवश्य भरें। यह माना जाता है कि बैंक ने ऐसे खातों के धारकों के सम्बन्ध में RBI के KYC मानकों का पालन किया है।
4. आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत कर योग्य आय(Taxable Income) अर्थात आयकर दाता होने पर आवंटित स्थाई खाता संख्या **(PAN)** होना चाहिए।
5. संयुक्त नाम से आवेदन की स्थिति में दोनो एक ही श्रेणी के होना अनिवार्य है।

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदक अपने नाम से आवेदन पत्र पुस्तिका के अन्त में दिये गए फार्म एवम् चालान भरकर जमा करा सकता है।
2. प्रत्येक योजना के लिये आवेदन फार्म एवं चालान फार्म पृथक–पृथक है। आवेदन फार्म एवं चालान में साईज के सामने कृपया कोष्ठक में सही (✓) का चिन्ह लगायें।
3. आवेदन पत्र में कृपया शुद्ध हिन्दी में अपना पूर्ण नाम, पता स्पष्ट मोटे अक्षरो में लिखे तथा अपने पिता/पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता, मोहल्ला, गली,बाजार,मकान नं0 सहित शहर/जिले का नाम, आधार नं. पिनकोड नं0 सहित स्वच्छ लेख में लिखे। प्रत्येक कटिंग पर हस्ताक्षर करें, आवेदन पत्र में टेलीफोन नं0/मोबाइल नं0 यदि हो तो लिखे तथा निर्धारित कॉलम में आवेदक के नाम का बैंक खाता संख्या तथा बैंक का नाम, IFSC कोड लिखे।
4. आवेदन पत्र पर नवीनतम पासपोर्ट साईज का स्व प्रमाणित फोटो अच्छी प्रकार से चिपकाए।
5. आवेदन पत्र कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् पते में परिवर्तन के अलावा कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

6. आवेदक आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करे,जो कॉलम लागू नही होता हो उसे स्पष्ट रूप से X (नही) अंकित करें।
7. आवेदन पत्र केवल आवेदन पुस्तिका में वर्णित बैंक के माध्यम से जमा किये जाएंगे।
8. सभी दस्तावेज की सुनिश्चितता स्वयं के स्तर पर करें
9. संयुक्त नाम से आवेदन पर दोनो आवेदकों के फोटो आवश्यक है तथा प्रपत्रों पर दोनो के क्रमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर आवश्यक है। प्रथम आवेदक का बैंक का नाम एवं खाता संख्या आवेदन पत्र में देवें।

विशेष अनुदेश

1. आवदेक की आय करयोग्य (Taxable) अर्थात आयकर दाता होने पर स्थायी खाता संख्या (पैन) दिया जाना आवश्यक है। साथ ही **PAN CARD** की स्वअनुप्रमाणित प्रति अवश्य लगाए ।
2. आवेदक अपने खाते का एक कैन्सिल्ड चैक (cancelled cheque CTS 2010) अथवा बैंक पास बुक प्रति जिसमें बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code हो संलग्न करे
3. कृपया एसटीडी कोड सहित अपना फोन नं0, ई–मेंल आईडी और मोबाईल नं0, यदि कोई हो, दे। यह आवेदक के हित में होगा कि वे ये विवरण दें क्योकि इससे किसी प्रकार की आवश्यकता होने पर आवेदक से सम्पर्क करने में न्यास एवं बैंक को सहायता मिलेगी।
4. निःशक्त व्यक्ति अपने नाम से आवेदन कर सकते है। यदि वह स्वयं आवेदन पत्र जमा कराने में अक्षम तो वह आवेदन पत्र अपने कानूनी संरक्षक के माध्यम से जमा करा सकता/सकती है।
5. आवेदक का रिहायशी पता दिया जाना आवश्यक है।
6. धन राशि की वापसी का चैक/मांग एवं आवंटन पत्र भेजने के लिए पत्र व्यवहार के पते का उल्लेख करें।
7. पंजीकरण राशि का विवरण लिखें, (मय प्रशासनिक) शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट ***सचिव, नगर विकास न्यास कोटा*** के पक्ष में देय होना चाहिए।

आरक्षण :–

भूखण्डों की प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न वर्गो के लिए भूखण्ड आरक्षण के प्रतिशत की तालिका नीचे दी गयी है। जो व्यक्ति जिस वर्ग के अन्तर्गत भूखण्ड हेतु आवेदन करेंगे उन्हे उसी वर्ग के लिए लॉटरी मे सम्मिलित किया जायेगा। किसी अन्य वर्ग मे उनका कोई दावा स्वीकार नही किया जायेगा। फार्म में वर्ग का कोई उल्लेख नहीं होने पर सामान्य वर्ग का आवेदन माना जावेगा।

राज्य सरकार के विभागो एवं राजकीय उपक्रमो के कर्मचारी केन्द्र सरकार के कर्मचारी	सैनिक/सेवानिवृत सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	अनुसूचित जाति के	अनुसूचित जनजाति	शारीरिक निःशक्त जन के लिए	अधिस्वीकृत पत्रकार	ट्रांसजेण्डर पर्सन	सामान्य श्रेणी के लिए
10%	10%	9%	6%	3%	2%	2%	58%

नोटः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा शारीरिक निःशक्त जन के लिए आरक्षित भूखण्डों में से 10 प्रतिशत भूखण्ड इन श्रेणियों की बेसहारा भूमिहीन एकल महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

स्पष्टीकरण :

1. जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजस्थान स्थित विश्वविद्यालय/राज्य के स्थानीय निकायो व राजस्थान सरकार के उपक्रमो के अधीन नियमित रूप से कार्यरत है तथा केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, उन्ही को राज्य/केन्द्र कर्मचारी के वर्ग मे माना जायेगा। ऐसे व्यक्ति को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। पेंशनर को इस वर्ग में नही माना जावेगा।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य वह व्यक्ति है जो राजस्थान की जनगणना मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रूप मे सूचीबद्व है।ऐसे व्यक्ति को राजस्थान सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
3. सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई. एस.एफ.,कार्यरत अथवा इन सेवाओ से सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी से है।
4. सैनिको की विधवाये वे है जिनके पति सैनिक रहे हो एवं मृत्यु सेवा काल के दौरान हो गई हो ।

Scanned with CamScanner

5. अधिस्वीकृत पत्रकार वे है जिन्हे राजस्थान सरकार/भारत सरकार की प्राधिकृत संस्थाँ द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकार की मान्यता दी गई है एवं वर्तमान में भी पत्रकारिता का कार्य कर रहे हो ।

6. विकलांग व्यक्ति वे है जो शारीरिक अयोग्यता के कारण विकलांग हो चुके है तथा राज्य सरकार के प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित है।

7. बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी में आवेदन करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र/मान्य दस्तावेज सलंग्न करना होगा।
   नोटः यदि बेसहारा भूमिहीन एकल महिला की श्रेणी के अर्न्तगत प्राप्त आवेदन पत्र इस श्रेणी के लिए आरक्षित कुल भूखण्डों की संख्या से कम प्राप्त होते है तो शेष उपलब्ध भूखण्ड इन श्रेणियों के अन्य आवेदकों के लिए उपलब्ध होंगे।

8. किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या मे प्राप्त नही होने पर उस वर्ग के शेष भूखण्डो का आवंटन सामान्य श्रेणी के उसी वर्ग के आवेदको को किया जायेगा।

9. संयुक्त आवेदन की स्थिति में सभी आवेदकों को एक ही आरक्षित श्रेणी का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जावेगा।

10. अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आवेदकों द्वारा एस.सी./एस.टी. वर्ग में आवेदन नही किया जा सकता है।यदि ऐसे आवेदन पाये गये तो वह निरस्त योग्य होंगे।

11. आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित 5 योजनाओं में से किसी भी योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। चूंकि प्रत्येक आवेदन पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्रों/चालान फार्मो का कमांक समान है अतः एक से अधिक योजना में अथवा एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने हेतु पृथक–पृथक आवेदन क्रय करना होगा।

12. एक व्यक्ति के द्वारा एक से अधिक आवेदन किये जा सकते है। एक परिवार के एक से अधिक सदस्य भी भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है।

आवेदन कैसे करें

1. इन योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन कर रहे आवेदक को निर्धारित पंजीकरण राशि एवम् 2000/- का प्रशासनिक शुल्क (Non Refundable) डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराना होगा।
2. पंजीकरण राशि यूआईटी कोटा में देय, किसी भी बैंक के सिंगल डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे–ऑर्डर द्वारा आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक की किसी भी नोडल शाखा में जमा करनी होगी
3. आवश्यक भुगतान के साथ सभी तरह से विधिवत पूरा आवेदन–पत्र आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा आवेदन–पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व बैंकिंग समय के समापन से पूर्व दिए जाऐंगे। यूआईटी समापन समय के पश्चात, किसी भी कारण से आवेदन पत्र की प्राप्ति में विलम्ब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. आवेदन पत्र योजना बंद होने की तिथि के बाद स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि भुगतान की तिथि योजना के बंद होने के बाद की है तो ऐसे आवेदन पत्रो को अस्वीकार कर दिया जायेगा और इसका पूर्ण जिम्मेदार आवेदक होगा। लॉटरी के ड्रा में ऐसे आवेदन पत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. किसी भी सशर्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। दस्तावेज के अभाव में तथा अपूर्ण आवेदन पत्रो को आवेदक को बिना कोई कारण बताये सीधे ही अस्वीकार कर दिया जाएगा।
5. राज्य सरकार के विभागों स्थानीय निकायों एवं राजस्थान सरकार के राजकीय उपकमो के कर्मचारियों/ केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो राजस्थान के मूल निवासी है, को अपने नियोजक/विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with CamScanner

आवंटन की प्रक्रिया

(1) भूखण्डो का आवंटन लॉटरी के माध्यम से राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 एवं इसके तहत बने राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के अन्तर्गत समय–समय पर बनाये गये नियमों तथा उपनियमों एवं प्रचलित न्यास निर्णयों के अन्तर्गत 99 वर्षीय पट्टेदारी लीज होल्ड के आधार पर किया जावेगा।

(2) लाटरी योग्य भूखण्डो की संख्या स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना में 38 भूखण्ड, रामानन्दचार्य नगर आवासीय योजना में 148 भूखण्ड ,मीरा बाई आवासीय योजना में 52 भूखण्ड,मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना में 442 भूखण्ड तथा सुभाष नगर आवासीय योजना में 56 आवासीय भूखण्ड निर्धारित किए गए है। कुल 736 भुखण्डों के निश्चित विक्रय दर पर आवंटन हेतु लॉटरी निकाली जायेगी। उक्त संख्या उपलब्धता के अनुसार घटाई–बढाई जा सकती है। लॉटरी जन साधारण के सामने निकाली जावेगी जिसकी तिथि की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में दी जावेगी।

(3) आवेदको के द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जा सकती है । ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

(4) सफल आवंटियों को मांग एवं आवंटनपत्र पंजीकृत डाक से भेजे जाऐंगे। सफल आवंटियों की सूची न्यास की वेबसाइट http // urban.rajasthan.gov.in /uitkota तथा न्यास के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी, ऐसी स्थिति में आवेदक/आवंटियों को मांग एवं आवंटन पत्र देर से मिलने/नही मिलने के लिए नगर विकास न्यास जिम्मेदार नहीं होगा।

(5) आवंटन पत्र जारी किये जाने के निर्धारित समयावधि के अनुसार राशि जमा नहीं कराई जाने पर भूखण्ड स्वतः निरस्त होगा।

- **मांगी गई राशि के भुगतान की पद्धति :–**

आवंटित भूखण्ड का भुगतान निम्नानुसार जमा करवाना होगा :–
आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में 15 प्रतिशत,
आवंटन पत्र जारी होने के 240 दिवस में 35 प्रतिशत,
आवंटन पत्र जारी होने के 360 दिवस में 50 प्रतिशत, (जमा पंजीयन राशि कम करते हुए)

नोटः–

1. आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में सम्पूर्ण राशि एक मुश्त जमा कराने पर भूखण्ड की कीमत पर 2 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
2. देय 35 प्रतिशत राशि आवंटन पत्र जारी करने के 240 दिवस में जमा करवाना होगा। यदि आवेदक 240 दिवस के उपरान्त किन्तु 360 दिवस के अन्दर जमा करवाता है तो आवंटन पत्र जारी करने की दिनांक से 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करवाना होगा।
3. देय राशि उपरोक्तानुसार जमा करवाना होगा, इसके अभाव में आवंटन स्वतः ही निरस्त योग्य है। तथा जमा पंजीयन राशि जब्त कर ली जायेगी।

आवेदन पत्र के साथ जमा कराई गई पंजीयन राशि बिना ब्याज के भूखण्ड की देय 50 प्रतिशत राशि में समायोजित कर ली जावेगी। देय राशि स्थानीय चैक/डी.डी./पे ऑर्डर से आवेदन पुस्तिका में उल्लेखित बैंक में देय तिथि तक जमा कराई जा सकेगी। निर्धारित तिथि तक न्यास खाते में राशि जमा कराने का दायित्व आवंटी का होगा। ब्याज की गणना आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से की जावेगी।

असफल आवेदकों की पंजीयन राशि की वापसीः-

1. नगर विकास न्यास को दी गई पंजीकरण राशि आवेदक पुस्तिका में उल्लेखित बैंक द्वारा जहां आवेदक ने आवेदन पत्र जमा किया हो, द्वारा वापस की जाएगी। संबंधित बैंक, असफल आवेदकों को धन वापसी के चैक भेजने के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें किसी प्रकार की हानि के मामले में जिम्मेदारी बैंक द्वारा ली जाएगी। यूआईटी या बैंक योजना के बंद होने के एक साल के बाद राशि वापसी / धन वापसी के चैक का भुगतान न होने से संबंधित आवेदन

Scanned with CamScanner

स्वीकार नहीं करेगा।

2. जमा राशि वापस प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। एकाउंट नम्बर एवं बैंक के विवरण चैक पर चिन्हित होंगे। इसलिए आवेदक को ध्यानपूर्वक ये विवरण आवेदन पत्र में भरने होंगे।

3. यदि आवेदक ने एक ऐसे स्थान/कार्यालय का पता दिया है, जहां कोरियर का प्रवेश प्रतिबंधित है, वहां धनराशि वापिस करने के चैक/मांग पत्र भेजने सहित सभी पत्र व्यवहार कोरियर के असफल रहने पर निर्धारित तरीके से भेजे जाएंगें। ऐसे मामलो में आवेदक को इस आवेदन पुस्तिका में दिए गए बैंक के नोडल अधिकारियों से सम्पर्क करने की सलाह दी जाती है। इन मामलो में आवेदक/आवंटिती द्वारा पत्र प्राप्ति में देरी/प्राप्त नहीं होने के लिए यूआईटी/बैंक उत्तरदायी नही होगा।

<u>टिप्पणी–</u> यदि आवेदक की फर्म/कंपनी के खाते से आवेदन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है तो राशि वापिस करने के उद्देश्य से आवेदक को अपने बैंक संबंधी ब्योरे उपलब्ध कराने होंगे क्योकि इन ब्यौरों को धन वापिसी चैक पर भी लिखा जाएगा। यदि खाता संख्या और पाने वाले का नाम असंगत है तो बैंक भुगतान नही करेगा । ऐसी स्थिति से बचने के लिए यह सलाह दी जाती है कि आप आवेदन पत्र भरने से पूर्व इसकी पुनः जांच कर लें।

भूखण्डों की रजिस्ट्रीः-

आवंटी द्वारा भूखण्ड की संपूर्ण बकाया राशि,लीज आदि जमा करवा कर पट्टा विलेख प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा,तद्परान्त न्यास द्वारा पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी किया जावेगा। इस पट्टा विलेख का पंजीयन,पंजीयक मुद्रांक कार्यालय, में आंवटी द्वारा कराया जावेगा। पट्टा विलेख का समस्त व्यय आंवटी द्वारा वहन किया जावेगा। सफल आवेदकों द्वारा भूखण्ड पर ऋण चाहने पर एन.ओ.सी, हेतु आवेदन पत्र मय बैंक का पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर न्यास द्वारा अनापति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) जारी किया जा सकगे। समय पर राशि जमा कराने की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

भूखण्ड पर नगरीय कर (लीज)

भूखण्ड पर नगरीय कर नियमानुसार जमा करवाना होगा ।

भूखण्ड का कब्जाः-

सम्पूर्ण राशि जमा होने पर 12 माह के अन्दर लीज डीड पंजीयन प्रपत्र प्रस्तुत नही करने पर न्यास द्वारा रु. 2000/– प्रति माह तक भूखण्ड की साईज के अनुसार शास्ति (पेनाल्टी) लगाई जावेगी। लीज डीड का पंजीयन स्थानीय पंजीयन कार्यालय से कराने के बाद दो माह के अन्दर भूखण्ड का कब्जा न्यास के अधिकृत भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा मौके पर दिया जावेगा। आवंटी कब्जा पत्र कार्यालय से प्राप्त करेंगे अथवा उनको रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जावेगा। कब्जा पत्र जारी करने की तिथि से 15 दिन के अन्दर आवंटी को न्यास के भवन निरीक्षक/कनिष्ठ अभियन्ता से सम्पर्क करना होगा, अन्यथा कब्जा स्वतः लिया हुआ मान लिया जावेगा। तत्पश्चात न्यास की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी । साइट प्लान व मौके पर कब्जा देने पर अतिरिक्त भूमि होने पर उसका नियमानुसार अतिरिक्त राशि आवंटी को तुरन्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड कॉर्नर का होने पर भूखण्ड की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि आवंटी को देनी होगी।

भूखण्ड का हस्तान्तरण

आवंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टा विलेख जारी करवाने के पश्चात पट्टा विलेख का पंजीयन करवाने कब्जा प्राप्त करने तथा अन्य कोई देय राशि हो तो जमा करवाने पर न्यास से स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड का हस्तान्तरण अर्थात विक्रय किया जा सकता है।

भूखण्ड पर निर्माण कार्यः-

भूखण्ड के आवंटन तिथि से 2 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर भवन निर्माण कार्य करना होगा । अन्यथा भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो जावेगा तथा आवंटी को भविष्य में रियायती दर पर भूखण्ड नहीं दिया जावेगा। आवंटी द्वारा आवेदन करने पर विशेष परिस्थितियों मे न्यास अध्यक्ष व न्यास मण्डल निर्धारित राशि व ब्याज तथा शास्ति लेकर निरस्त भूखण्ड को नियमित करके भूखण्ड पर निर्माण के लिए अवधि नियमानुसार बढा सकते है। भूखण्ड पर निर्माण के लिए न्यास से निर्माण स्वीकृति प्राप्त करनी होगी तथा प्रस्तावित निर्माण का नक्शा स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।

Scanned with CamScanner

अन्यः-

1. भूखण्ड का पुनर्गठन/उपविभाजन न्यास की स्वीकृति के बिना नही किया जावेगा और न ही दो या अधिक भूखण्डो की एक ईकाई बनाई जावेगी।
2. राज्य सरकार एवं न्यास द्वारा समय समय पर जारी किए नियम/संशोघन आवंटी पर लागू होंगे।
3. समस्त पत्राचार एवं ड्राफ्ट सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा के नाम से होगा।
4. किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र कोटा शहर होगा।
5. आवंटी पर राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 व राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निष्पादन) नियम 1974 के समस्त प्रावधान तथा न्यास निर्णय समय समय पर संशोधन के साथ लागू होगें ।
6. भूखण्डो की माप/संख्या में कम/ज्यादा की जा सकती है विषम परिस्थितियों में आंवटित भूखण्ड का कब्जा नही दिए जाने की स्थिति मे आवेदक द्वारा जमा राशि बिना ब्याज के लौटाई जा सकेगी तथा मौके की स्थिति के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है जो कि आवंटी को स्वीकार करना होगा।
7. यदि किसी आवेदक द्वारा गलत सूचना देकर तथा मिथ्या तथ्यों के आधार पर न्यास को धोखे मे रखते हुए भूखण्ड आवंटन का प्रयास किया है अथवा आवंटन करा लिया है व आवेदन पुस्तिका में अंकित शर्तो का पालन नहीं किया तो ऐसे आवेदको की जमा राशि व भूखण्ड को जब्त कर लिया जावेगा तथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
8. भूखण्ड अथवा उस पर बने भवन पर सक्षम अधिकारी द्वारा लागू किये समस्त कर शुल्क आदि की जिम्मेदारी आवंटी की होगी।
9. भूखण्ड आवंटन संबंधी समस्त प्रक्रिया संबंधी किसी भी बिन्दु पर विवाद होने पर अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, कोटा का निर्णय सर्वमान्य व अंतिम होगा।

10. भूखण्ड के साथ अतिरिक्त जमीन की राशि नियमानुसार न्यास निर्णयानुसार आवंटी को अतिरिक्त जमा करानी होगी तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कम होने पर वास्तविक माप की राशि ही आंवटी से ली जावेगी।
11. लाटरी के संबंध में कोई भी जानकारी/सूचना, मुख्य लेखाधिकारी/वरिष्ठ नगर नियोजक/ उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, कोटा से प्राप्त की जा सकती है।
12. आवेदक योजना को आवेदन के पूर्व मौके पर जाकर देख लेंवे। तथा संतुष्टी के पश्चात ही आवेदन करें।
13. आवेदको के द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तुत सूचना के आधार पर भी लॉटरी निकाली जायेगी। ऐसी स्थिति में यदि लॉटरी निकालने के बाद आवेदन पत्रों में कोई कमी अथवा मिथ्या सूचना पाई जाती है तो सफल आवेदकों की सूची से नाम हटाते हुए आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा। अतः आवेदन फार्म भरते समय आवेदक निर्धारित मापदण्डो की पालना सुनिश्चित कर लें।

विन्या
कोटा

Scanned with CamScanner

स्व घोषणा पत्र
(समस्त आवेदकों के लिए)

स्व प्रमाणित
फोटो

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री .... आयु.......
...........निवासी ....
....घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मैं राजस्थान का/ की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लि... है तथा मैरे द्वारा आवंटन पुस्तिका में दिये गये समस्त नियमों की पालना की जायेगी।

(3) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने/शर्तो की पूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री .... घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है एवं मेरे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है। इस तथ्य से वाकिफ हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरे विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा इस योजनान्तर्गत किये गये आवास का आवंटन रद्द कर दिया जायेगा।

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

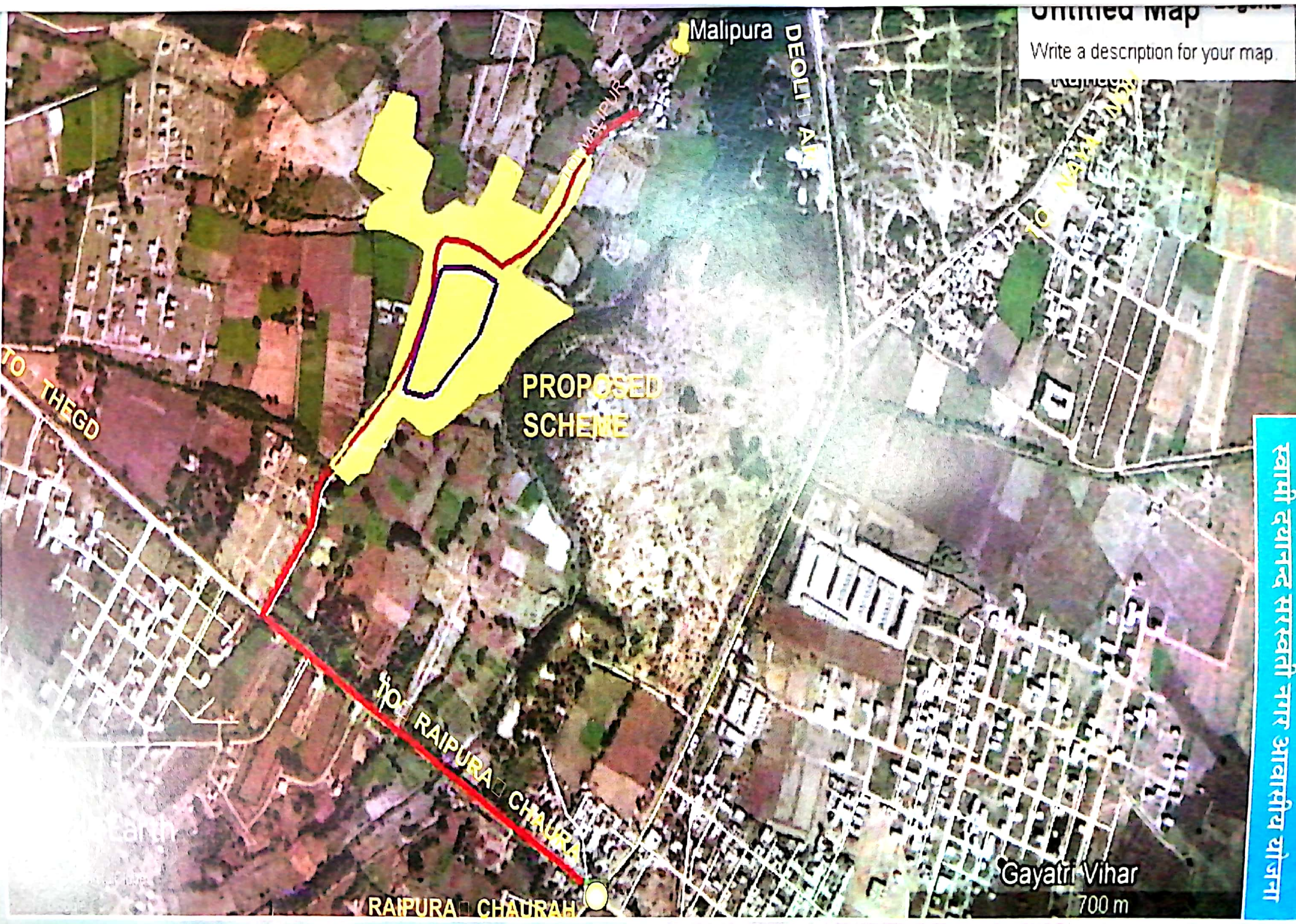

Scanned with CamScanner

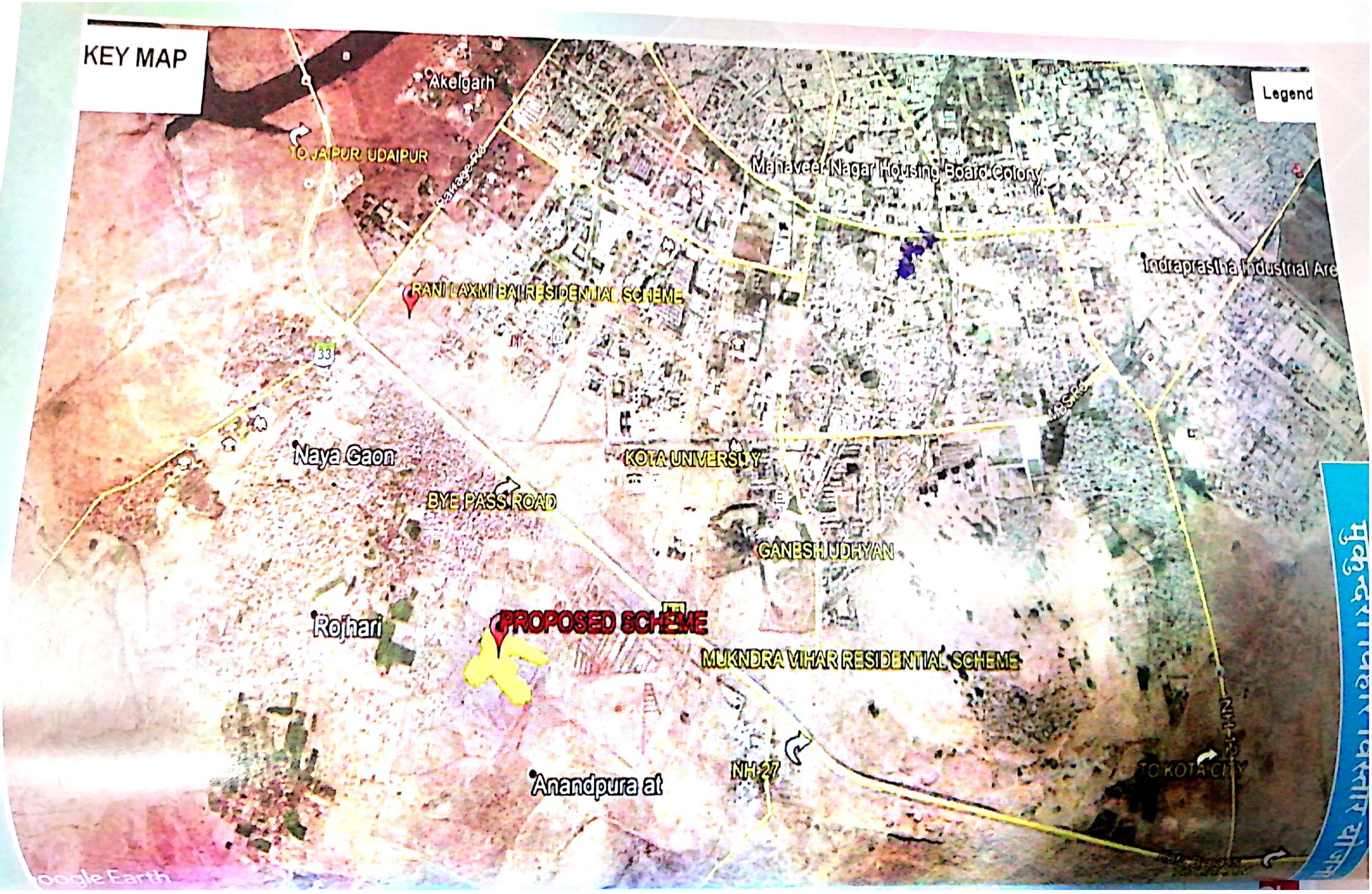

Scanned with CamScanner

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 22 जनवरी 2021

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

http: //rera.rajasthan.gov.in
RERA Reg. No.:- RAJ/P/2019/1069

आवेदन पत्र

स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..............................
..............................मोबाईल/टेलिफोन नं ....
4. बैंक खाता संख्या..............................बैंक का नाम ....IFSC Code..............

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐
7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐
   एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/शारीरिक नि:शक्तजन/ बेसहारा आयहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।
8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

☐ 7.5x15=112.5 SqM ☐ 9x13=117SqM ☐ 9x18=162 SqM ☐ 12x21=252 SqM

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-
   (1) चालान नं. .... (2) दिनांक ....
   (3) राशि .... (4) डी डी नं. ....
10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

क्रमांक

आवेदन क्रमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम ICICI Bank..............................
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

COMPLEMENTARY COPY
COMPLEMENTARY COPY
Scanned with CamScanner

ICICI A/C NO. 018401008470

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,00,000/-	
☐ 9x13=117SqM	1,10,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,50,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

ICICI A/C NO. 018401008470

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,00,000/-	
☐ 9x13=117SqM	1,10,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,50,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008470

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

COMPLEMENTARY COPY

स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,00,000/-	
☐ 9x13=117SqM	1,10,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,50,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008470

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

स्वामी दयानन्द सरस्वती नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,00,000/-	
☐ 9x13=117SqM	1,10,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,50,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्ष

Scanned with CamScanner

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 22 जनवरी 2021

http: //rera.rajasthan.gov.in
RERA Reg. No.:- RAJ/P/2019/1096

आवेदन पत्र

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..

....मोबाईल/टेलिफोन नं ....

4. बैंक खाता संख्या..बैंक का नाम ....IFSC Code.................

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखें) ☐

7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐
एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/शारीरिक निःशक्तजन/ बेसहारा भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।
☐ 4.5x9=40.5 SqM ☐ 6x12=72 SqM ☐ 7.5x15=112.5 SqM ☐ 9x18=162 SqM
☐ 12x21=252 SqM ☐ 12x27=324 SqM ☐ 15x27=405 SqM

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-
(1) चालान नं. .... (2) दिनांक ....
(3) राशि .... (4) डी डी नं. ....

10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

क्रमांक

....
....
....

आवेदन कमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम ICICI Bank..................
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

COMPLEMENTARY COPY

Scanned with CamScanner

ICICI A/C NO. 018401008471

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5 SqM	45,000/-	
☐ 6x12=72 SqM	80,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,20,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,80,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,80,000/-	
☐ 12x27=324 SqM	3,50,000/-	
☐ 15x27=405 SqM	4,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक........................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008471

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5 SqM	45,000/-	
☐ 6x12=72 SqM	80,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,20,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,80,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,80,000/-	
☐ 12x27=324 SqM	3,50,000/-	
☐ 15x27=405 SqM	4,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक........................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008471

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5 SqM	45,000/-	
☐ 6x12=72 SqM	80,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,20,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,80,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,80,000/-	
☐ 12x27=324 SqM	3,50,000/-	
☐ 15x27=405 SqM	4,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक........................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008471

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

रामानन्दाचार्य नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5 SqM	45,000/-	
☐ 6x12=72 SqM	80,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM	1,20,000/-	
☐ 9x18=162 SqM	1,80,000/-	
☐ 12x21=252 SqM	2,80,000/-	
☐ 12x27=324 SqM	3,50,000/-	
☐ 15x27=405 SqM	4,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक........................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY
COMPLEMENTARY COPY

Scanned with CamScanner

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 22 जनवरी 2021

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

http: //rera.rajasthan.gov.in
RERA Reg. No.:- RAJ/P/2019/1070

आवेदन पत्र

मीरा बाई आवासीय योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..............................
..............................मोबाईल/टेलिफोन नं ....
4. बैंक खाता संख्या..................बैंक का नाम ....IFSC Code..............
स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखें) ☐
7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐
एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/शारीरिक निःशक्तजन/ बेसहारा भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।
8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

☐ 4.5x9=40.5 SqM ☐ 6x12=72 SqM ☐ 7.5x15=112.5 SqM ☐ 9x18=162 SqM

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-
(1) चालान नं. .... (2) दिनांक ....
(3) राशि .... (4) डी डी नं. ....
10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
मीराबाईआवासीययोजना

क्रमांक

आवेदन कमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम ICICI Bank ....
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

COMPLEMENTARY COPY
COMPLEMENTARY COPY
Scanned with CamScanner

ICICI A/C NO. 687101700371

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मीरा बाई आवासीय योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
☐ 4.5x9=40.5 SqM 60,000/-	
☐ 6x12=72 SqM 1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM 1,80,000/-	
☐ 9x18=162 SqM 2,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क प्रशासनिक शुल्क	2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक...................... योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

ICICI A/C NO. 687101700371

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मीरा बाई आवासीय योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
☐ 4.5x9=40.5 SqM 60,000/-	
☐ 6x12=72 SqM 1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM 1,80,000/-	
☐ 9x18=162 SqM 2,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक...................... योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

ICICI A/C NO. 687101700371

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मीरा बाई आवासीय योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
☐ 4.5x9=40.5 SqM 60,000/-	
☐ 6x12=72 SqM 1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM 1,80,000/-	
☐ 9x18=162 SqM 2,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक...................... योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 687101700371

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मीरा बाई आवासीय योजना

विवरण	रूपये
पंजीयन राशि	
☐ 4.5x9=40.5 SqM 60,000/-	
☐ 6x12=72 SqM 1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5 SqM 1,80,000/-	
☐ 9x18=162 SqM 2,50,000/-	
प्रशासनिक शुल्क	2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक...................... योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 22 जनवरी 2021

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

http: //rera.rajasthan.gov.in
RERA Reg. No.:- RAJ/P/2019/1062

आवेदन पत्र

मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..

....मोबाईल/टेलिफोन नं ....

4. बैंक खाता संख्या..बैंक का नाम ....IFSC Code..................

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐
6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐
7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उस वर्ग को कोष्ठक में लिखें ☐

एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) /राज्य अथवा अर्द्व राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/शारीरिक निःशक्तजन/ बेसहारा भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

☐ 4.5x9=40.5 SqM ☐ 6x12=72 SqM ☐ 7.5x15=112.5 SqM ☐ 9x18=162 SqM ☐ 12x21=252 SqM

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-

(1) चालान नं. .... (2) दिनांक ....

(3) राशि .... (4) डी डी नं. ....

10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें। :-

PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत सभी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

क्रमांक

आवेदन कमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम INDUSIND Bank
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

Scanned with CamScanner

INDUSIND BANK A/c No. 156377267880

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5mtr	60,000/-	
☐ 6x12=72mtr	1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5mtr	1,80,000/-	
☐ 9x18=162mtr	2,50,000/-	
☐ 12x21=252mtr	4,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं.		
दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

INDUSIND BANK A/c No. 156377267880

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5mtr	60,000/-	
☐ 6x12=72mtr	1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5mtr	1,80,000/-	
☐ 9x18=162mtr	2,50,000/-	
☐ 12x21=252mtr	4,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं.		
दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

INDUSIND BANK A/c No. 156377267880

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5mtr	60,000/-	
☐ 6x12=72mtr	1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5mtr	1,80,000/-	
☐ 9x18=162mtr	2,50,000/-	
☐ 12x21=252mtr	4,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं.		
दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

INDUSIND BANK A/c No. 156377267880

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..

पिता/पति का नाम ....

....

पता ....

....

मुकुन्दरा विहार विस्तार योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ 4.5x9=40.5mtr	60,000/-	
☐ 6x12=72mtr	1,00,000/-	
☐ 7.5x15=112.5mtr	1,80,000/-	
☐ 9x18=162mtr	2,50,000/-	
☐ 12x21=252mtr	4,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं.		
दिनांक......................	योग	

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक

आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि :- 22 जनवरी 2021

नवीनतम स्व प्रमाणित फोटो

आवेदन पत्र

सुभाष नगर आवासीय योजना

1. आवेदक/संयुक्त आवेदक का नाम : ....
2. आवेदक के पिता/पति का नाम : ....
3. आवेदक का स्थाई पता..

....मोबाईल/टेलिफोन नं ....

4. बैंक खाता संख्या..बैंक का नाम ....IFSC Code.................

स्थायी खाता संख्या (PAN NUMBER) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. आधार कार्ड नं. ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐

6. आवेदक का व्यवसाय या नौकरी क्या हैं (कोष्ठक में लिखे) ☐

7. आवेदक निम्न से जिस वर्ग में भूखण्ड चाहता है उसे नीचे कोष्ठक में लिखें ☐
एस.सी. / एस.टी. / सैनिक, भूतपूर्व सैनिक (नियमानुसार) / राज्य अथवा अर्द्ध राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के कर्मचारी/अधिस्वीकृत पत्रकार/शारीरिक निःशक्तजन/ बेरोजगार भूमिहीन एकल महिला/सामान्य (कोई भी वर्ग कोष्ठक में अंकित नही करने की स्थिति में आवेदन सामान्य वर्ग में माना जावेगा।

8. आवेदित भूखण्ड का विवरण श्रेणी कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करें।

ग्रुप-1 ☐ ग्रुप-2 ☐ ग्रुप-3 ☐ ग्रुप-4 ☐ ग्रुप-5 ☐

9. पंजीयन राशि जमा का विवरण :-
   (1) चालान नं. .... (2) दिनांक ....
   (3) राशि .... (4) डी डी नं. ....

10. आवेदन पत्र के साथ सलंग्न प्रमाण पत्र कृपया सही (✓) का चिन्ह अंकित करे। :-

PAN CARD ☐ D.D. ☐ Cancelled Cheque CTS 2010 /पास बुक की प्रति ☐

आरक्षित वर्ग का प्रमाण पत्र ☐ निवास प्रमाण पत्र ☐ स्वघोषणा पत्र ☐

11. मैने आवेदन पत्र विवरणिका का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा समझ लिया है, मुझे वर्णित शर्ते स्वीकार है।
12. मिथ्या तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया भूखण्ड का आवंटन किसी भी समय निरस्त कर न्यास द्वारा राशि जब्त की जा सकेगी व नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
13. समय – समय पर राज्य सरकार/नगर विकास न्यास एवं न्यास मण्डल में लिये गये निर्णयों को मानने के लिए मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।
14. आवेदन हेतु प्रस्तुत समी सूचनाऐं सही व प्रमाणित हैं।

दिनांक : स्थान : आवेदक/संयुक्त के हस्ताक्षर

COMPLEMENTARY COPY

प्रार्थी द्वारा भरा जाना चाहिये
नाम व पता

आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद :
सुभाष नगर आवासीय योजना

क्रमांक

....
....
....

आवेदन कमांक ....
चालान राशि ....
बैंक व शाखा का नाम ..ICICI Bank..........................
चालान संख्या ....
जमा करने की तिथि ....

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता मय सील

Scanned with CamScanner

ICICI A/C NO. 018401008469

नगर विकास न्यास, कोटा

प्रथम प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने फार्म के साथ संलग्न करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..............................

पिता/पति का नाम ....

पता ....

सुभाष नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ ग्रुप-1 5.5x11=60.5 SqM / 5.8x11=63.8 SqM	1,80,000/-	
☐ ग्रुप-2 7.5x15=112.5 SqM	3,50,000/-	
☐ ग्रुप-3 11x15=165 SqM / 9x19.5=175.5 SqM / 9x21=189 SqM	5,00,000/-	
☐ ग्रुप-4 12x21=252 SqM	7,00,000/-	
☐ ग्रुप-5 12x27=324 SqM	8,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक.................. योग		

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008469

नगर विकास न्यास, कोटा

द्वितीय प्रति

(बैंक द्वारा स्टेटमेंट के साथ यू0आई0टी0 को प्रस्तुत करने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..............................

पिता/पति का नाम ....

पता ....

सुभाष नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ ग्रुप-1 5.5x11=60.5 SqM / 5.8x11=63.8 SqM	1,80,000/-	
☐ ग्रुप-2 7.5x15=112.5 SqM	3,50,000/-	
☐ ग्रुप-3 11x15=165 SqM / 9x19.5=175.5 SqM / 9x21=189 SqM	5,00,000/-	
☐ ग्रुप-4 12x21=252 SqM	7,00,000/-	
☐ ग्रुप-5 12x27=324 SqM	8,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक.................. योग		

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008469

नगर विकास न्यास, कोटा

तृतीय प्रति

(बैंक द्वारा अपने पास रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..............................

पिता/पति का नाम ....

पता ....

सुभाष नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ ग्रुप-1 5.5x11=60.5 SqM / 5.8x11=63.8 SqM	1,80,000/-	
☐ ग्रुप-2 7.5x15=112.5 SqM	3,50,000/-	
☐ ग्रुप-3 11x15=165 SqM / 9x19.5=175.5 SqM / 9x21=189 SqM	5,00,000/-	
☐ ग्रुप-4 12x21=252 SqM	7,00,000/-	
☐ ग्रुप-5 12x27=324 SqM	8,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक.................. योग		

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

ICICI A/C NO. 018401008469

नगर विकास न्यास, कोटा

चतुर्थ प्रति

(जमाकर्ता द्वारा अपने पास सुरक्षित रखने हेतु)

चालान नं. दिनांक ....

नाम..............................

पिता/पति का नाम ....

पता ....

सुभाष नगर आवासीय योजना

विवरण		रूपये
पंजीयन राशि		
☐ ग्रुप-1 5.5x11=60.5 SqM / 5.8x11=63.8 SqM	1,80,000/-	
☐ ग्रुप-2 7.5x15=112.5 SqM	3,50,000/-	
☐ ग्रुप-3 11x15=165 SqM / 9x19.5=175.5 SqM / 9x21=189 SqM	5,00,000/-	
☐ ग्रुप-4 12x21=252 SqM	7,00,000/-	
☐ ग्रुप-5 12x27=324 SqM	8,00,000/-	
प्रशासनिक शुल्क		2000/-
डी.डी. नं. .... दिनांक.................. योग		

अक्षरे रूपये ....

आवेदक/संयुक्त आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

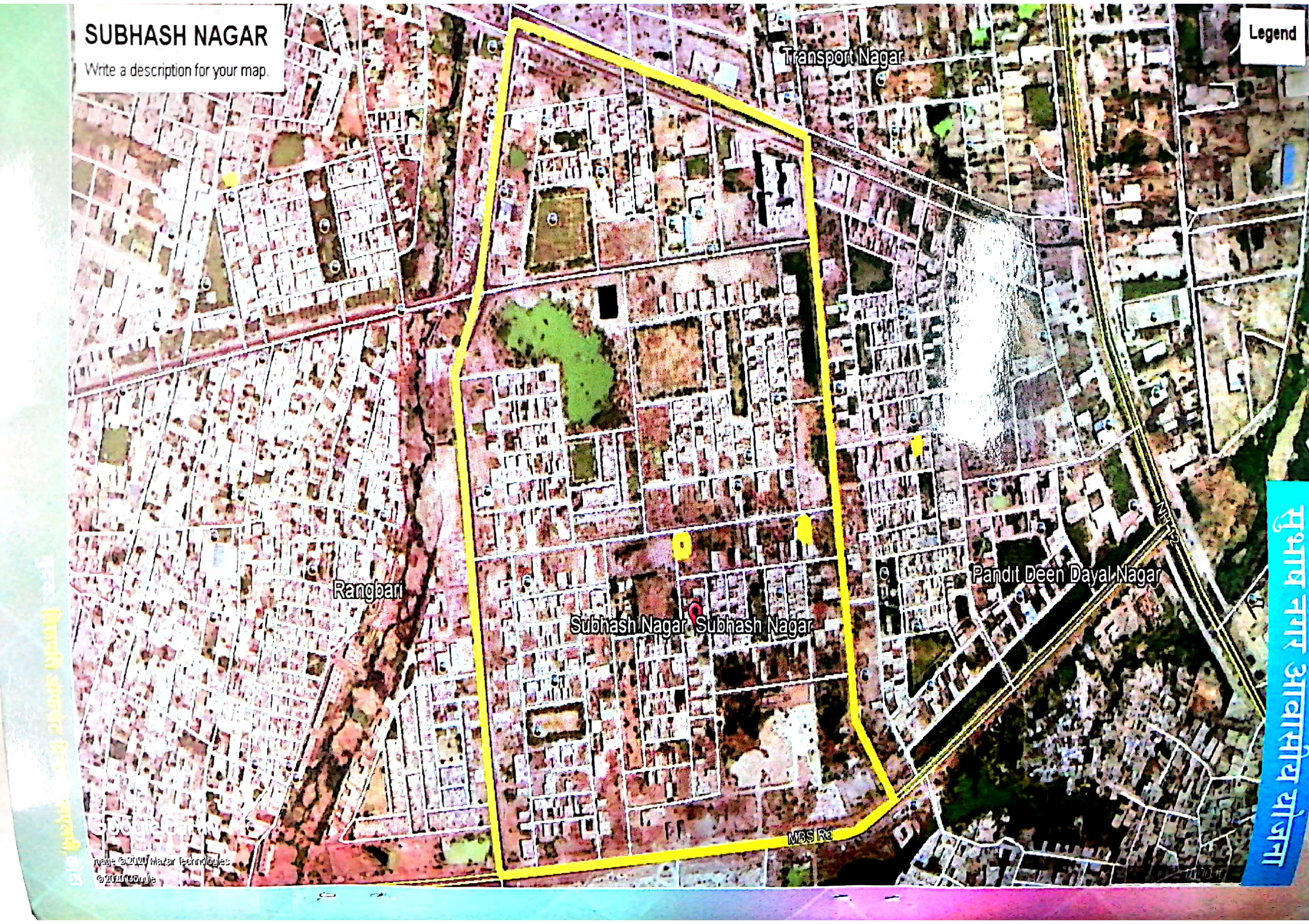

Scanned with CamScanner